(15)

न्यायालय उप खण्ड अधिकारी मांगरोल जिला बांरा (राज0)

वाद संख्या– 151 / 2007

बद्रीलाल पुत्र कालूलाल जाति धाकड निवारी शाहपुरा तहसील मांगरोल जिला बांरा (राज0)

वादी

बनाम

1 श्रीनाथ द्वारा टेम्पल बोर्ड नाथ द्वारा जिला उदयपुर जर्ये मुख्य निष्पादन अधिकारी टेम्पल बोर्ड उदयपुर (राज0)

2 राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार मांगरोल जिला बांरा (राज0)

प्रतिवादीगण

प्रार्थना– पत्र अंतर्गत धारा 11 सी0पी0सी0

उपस्थितः–

1. पीठासीन अधिकारी– श्री कैलाश चन्द आर ए एस
2. वकील प्रार्थी / प्रतिवादी – श्री के0 के0 सोनी
3. वकील अप्रार्थी / वादी– श्री वी0 एस0 गौड

आदेश दिनांक 31 / 07 / 2012

वाद के संक्षेप मे तथ्य इस प्रकार है कि जेरकार वाद की विषयवस्तु ग्राम सीसवाली तहसील मांगरोल के माल मे अवस्थित आराजी खसरा नं. 2489 रकबा 16 बीघा 9 बिस्वा, खसरा नं 2493 रकबा 24 बीघा 14 बिस्वा, खसरा नं. 2490 रकबा 2 बीघा 12 बिस्वा, खसरा नं. 2495 रकबा 2 बीघा 7 बिस्वा कुल 4 रकबा 47 बीघा 2 बिस्वा है। सेटलमेन्ट के बाद उक्त वर्णित आराजी खसरा नं.2489 के नये ख0नं0 2088, खसरा नं. 3493 के नये ख0नं0 2087, ख0नं0 2490 के नये ख0नं0 2090 एवं ख0नं0 2495 के नये ख0नं0 2094 भू राजस्व विभाग द्वारा दर्ज किये गये। उक्त खसरानम्बरान के बावत् व समान पक्षकारान के मध्य पूर्व मे एक प्रकरण माननीय न्यायालय उप जिलाधीश महोदय बांरा में चल चुका है, जिसमें वाद की अन्तर्वस्तु आराजीयात व पक्षकार समान थे, प्रकरण नाथद्वारा टेम्पल बोर्ड नाथद्वारा चलाया गया तथा जिसका उनवान नाथद्वारा टेम्पल बोर्ड नाथद्वारा बनाम 1 बद्रीलाल पुत्र कालुलाल धाकड निवारी शाहपुरा 2 राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार मांगरोल था, इस प्रकरण मे तनकीयात कायम की गई तथा बिन्दूवार गुणावगुण के आधार पर दिनांक 31.03.2001 को

उप खण्ड अधिकारी
मांगरोल

(12)

न्यायालय द्वारा प्रतिपक्षी को बेदखल करते हुये उसके खिलाफ फैसला निर्णित किया तथा प्रकरण को अन्तिम रूप से विनिश्चित किया जा चुका है। फैसला व डिक्री की प्रति संलग्न है। जेरकार प्रकरण बद्रीलाल बनाम नाथद्वारा टेम्पल बोर्ड नाथद्वारा पूर्व न्याय की श्रेणी में आता है, प्रार्थी/वादी ने न्यायालय का समय खराब करने की नियत से गलत तथ्यों पर यह वाद प्रस्तुत किया है, जो खारिज किये जाने योग्य है। अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि जेरकार वाद कमांक 151/07 पूर्व न्याय के सिद्धान्त पर खारिज फरमाने की कृपा करें।

प्रार्थना-पत्र 11 सी.पी.सी. प्राप्त होने पर प्रार्थना पत्र की प्रति वास्ते जवाब वकील अप्रार्थी/वादी को दिलवाई गई। अप्रार्थी/वादी ने जवाब वकील प्रार्थना पत्र का जवाब प्रस्तुत कर अंकित किया है कि प्रार्थना पत्र वरण सं. 1 स्वीकार है। प्रार्थना पत्र वरण सं. 2 राजस्व रिकोर्ड से संबंधित है। प्रार्थना पत्र वरण सं. 3 राजस्व रिकोर्ड से संबंधित है। प्रार्थना पत्र वरण सं. 4 अस्वीकार है। वादी द्वारा पूर्व में न्यायालय श्रीमान में धारा 88, 89, 90, 91, 188 के अंतर्गत प्रतिवादी के विरूद्ध प्रस्तुत नही किया गया। प्रतिवादी द्वारा वाद वरण सं. 4 में वर्णित तथ्यो में वाद की समस्त वस्तुस्थिति तथा तथ्य, विवरण नही दिया गया है और ना ही न्यायालय द्वारा दिये गये निर्णय के तथ्यों के बारे मे कोई विवरण दिया गया है। ऐसी स्थिति में इस वरण में वर्णित तथ्यों का स्पष्ट जवाब देने में वादी सक्षम नही है। प्रतिवादी से न्यायालय में पूर्व में हुये निर्णय की प्रति वादी को दिलवाई जावे ताकि इस वरण म वर्णित तथ्यो का समुचित जवाब भविष्य में वादी द्वारा प्रस्तुत किया जा सके। प्रार्थना पत्र वरण सं. 5 अस्वीकार है। प्रार्थना, प्रार्थना-पत्र पूर्णतया अस्वीकार है। अतः जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थी/अप्रार्थी के द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र 3000 रूपये के खर्चे से खारिज करने का आदेश प्रदान करें।

उभयपक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की बहस सुनी गई। वकील प्रार्थी/प्रतिवादी ने बहस में प्रार्थना-पत्र में उल्लेखित वरणो को दोहराते हुये कथन किया है कि सम्माननीय न्यायालय सहायक कलक्टर द्वितीय बारां ने वाद सं. 427/97 बउनवान नाथद्वारा टेम्पल बोर्ड नाथद्वारा जिला उदयपुर जयें निष्पादन अधिकारी टेम्पल बोर्ड उदयपुर बनाम बद्रीलाल पुत्र कालूलाल जाति धाकड निवासी शाहपुरा तहसील मांगरोल अंतर्गत धारा 88, 89, 90, 183, आर.टी.एक्ट म दिनांक 31.03.2001 को निर्णय पारित कर आदेश दिये है कि नाथद्वारा टेम्पल बोर्ड का वाद स्वीकार करके अप्रार्थी/वादी को ग्राम सीरावाली के आराजी ख0न0 2489 रकबा 16 बीघा 9 बिस्वा, खसरा नं. 2493 रकबा 25 बीघा 14 बिस्वा, खसरा नं 2490 रकबा 2 बीघा 12 बिस्वा, खसरा नं. 2495 रकबा 2 बीघा 7 बिस्वा व ख0न0 2488 रकबा 1 बीघा 10 बिस्वा पर से बेदखल करने के आदेश दिये जा चुके है। अप्रार्थी/वादी विवादित भूमि पर कब्जा बनाये रखने हेतु बार-बार वाद लाता है। वाद सं. 427/97 बउनवान नाथद्वारा टेम्पल बोर्ड नाथद्वारा जिला उदयपुर जयें मुख्य निष्पादन अधिकारी टेम्पल बोर्ड उदयपुर बनाम बद्रीलाल पुत्र कालू

उप खण्ड अधिकारी
मांगरोल

गाँव धाकड़ निवासी शाहपुरा एवं माननीय न्यायालय में विचाराधीन वाद सं. 151/07 में पक्षकार समान है। न्यायालय से चाहा गया अनुतोष भी समान है, वाद की विषयवस्तु भी समान है। प्रथम न्यायालय सहायक कलक्टर द्वितीय बारां ने प्रकरण के तनकीयात कायम करके निर्णित कर दिया है। अतः उपरोक्त स्थिति में वर्तमान में माननीय न्यायालय में विचाराधीन वाद सं. 151/07 पर पूर्व न्याय का सिद्धान्त लागू होता है। इसलिये प्रकरण को खारिज किया जावें।

वकील अप्रार्थी/वादी ने बहस में जवाब प्रार्थना पत्र में उल्लेखित तथ्यों को दोहराया है।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं उभयपक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की बहस पर गहनता से मनन किया। ग्राम सीसवाली के आराजी खसरा नं. 2489 रकबा 16 बीघा 9 बिस्वा, खसरा नं. 2493 रकबा 24 बीघा 14 बिस्वा, खसरा नं. 2490 रकबा 2 बीघा 12 बिस्वा, खसरा नं. 2495 रकबा 2 बीघा 7 बिस्वा कुल 4 रकबा 47 बीघा 2 बिस्वा के सम्बंध में न्यायालय सहायक कलक्टर द्वितीय बारां द्वारा प्रकरण सं. 427/97 बउनवान नाथद्वारा टेम्पल बोर्ड नाथद्वारा बनाम बद्रीलाल अंतर्गत धारा 88, 90, 183 आर.टी.एक्ट में दिनांक 31.03.2001 को निर्णय पारित किया जा चुका है। वर्तमान में विचाराधीन प्रकरण सं. 151/07 एवं पूर्व में निर्णय किये गये वाद सं. 427/97 में पक्षकार समान है। न्यायालय से चाहा गया अनुतोष समान है, एवं वाद की विषयवस्तु भी समान है। अतः उपरोक्त सभी तथ्यों, विवेचन से न्यायालय के मत में प्रार्थी का प्रार्थना-पत्र स्वीकार किये जाने योग्य है।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना- पत्र अंतर्गत धारा 11 सी.पी.सी. स्वीकार किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 31/07/2012 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
मांगरोल

उपखण्ड अधिकारी

मांगरोल

... के जरिये दिलाया गया हो या नहीं

दर्ज करना चाहिये ।

(14)

Judi/Civil
Part IV-19

डिगरी व मुकदमें इब्तदाई

(ओ. 20 रू. 6–7 जाब्ता दीवानी)

(Civil Procedure Code Appendix "D"-1)

अदालत .... उपखण्ड अधिकारी .... मुकाम .... मांगरोल ....

इजलास श्री कैलाश चन्द्र R.A.S. ....

बाड़ी लाल पुत्र श्री कालू लाल धाकड़ निवासी आहपुरा तह॰ मांगरोल
– वादी

बनाम

1. श्री नाथ द्वारा टेम्पल बोर्ड नाथद्वारा जिला उदयपुर जर्ये मुख्य निष्पादन अधिकारी टेम्पल बोर्ड उदयपुर
2. राज॰ सरकार जर्ये तहसीलदार मांगरोल जिला बारां

दावा बाबत ... धारा 183 R.T.A.

मुकदमा नं. 151 .... सन् 2007

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू श्री भंवरसिंह गौड़ वकील-वादी, श्री के॰ कन्सोती वकील-प्रतिवादी

व हाजरा .... मिनजानिब मुदई व ....

.... मिनजानिब मुदायलह पेश होकर हुक्त दिया जाता है व डिगरी दी जाती है कि

वादी का प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा 11 सी॰पी॰सी॰ स्वीकार किया जाता है। दावा की कार्यवाही ड्राप की जाती है।

नीज .... मुबलिग .... बाबत् ....

खर्चा इस मुकदमे के मय व शरह ......×...... फीसदी सदी सालान आज की

तारीख से तारीख बसूलयाबी तक ......×...... को अदा करें।

वस्ब्त मेरे दसरतखत व मुहर अदालत के आज तारीख 31 माह 7 2010

दस्तखत [signature]

मुहर

ओहदा उप खण्ड अधिकारी मांगरोल

मुद्दई	रूपया	न.पै.	मुद्दायला	रूपया	न.पै.
स्टाम्प अरजीदावा –			स्टाम्प वकालतनामा –		
स्टाम्प वकालतनामा –			स्टाम्प अरजी –		
स्टाम्प वजह सबूत –			महनताना वकील) पर –		
महननाना वकील) पर –			खर्चा गवाहान –		
खर्चा गवाहान –			फीस कमीश्नर –		
फीस कमीशनर –			बबत इजराय हुक्मनामा –		
बबत इजराय हुक्मनामा –			मुतफरिंक –		
मुतफरिक –					
मीजान			मीजन		

नोट – इस खर्चे की फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन का चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो या नहीं दर्ज करना चाहिये।